

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश शर्मा,  
सप्टम अपर सिविल जज। जू० डि०।  
गोण्डा ।

सेवा में,

माननीय निबन्धक महोदय,  
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश  
गोण्डा ।

विषय:- सहायक अभियोजन अधिकारी की पूर्व सेवा को इस न्यायिक  
सेवा में जोड़ने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

निवेदन है कि मैं इस न्यायिक सेवा में आने से पूर्व सहायक अभियोजन  
अधिकारी के पद पर कार्यरत था । दिनांक 15/7/97 को पुलिस प्रशिक्षण  
महाविद्यालय द्वितीय मुरादाबाद में उक्त पद पर प्रशिक्षण हेतु योगदान  
दिया था और दिनांक 20/5/98 को जनपद पीलीभीत में पद स्थापित  
होकर दिनांक 2/8/99 तक रहा हूँ । मैंने श्रीमान् महानिदेशक अभियोजन,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ की पूर्व अनुमति से उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा की परीक्षा  
दी और मेरा क्याम इस सेवा में हुआ, तदोपरान्त श्रीमान् महानिदेशक  
अभियोजन व उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ की अनुमति से कार्यमुक्त होकर  
दिनांक 3/8/99 को जनपद गोण्डा में ~~सप्टम अपर सिविल जज। जू० डि०।~~  
के रूप में कार्यभार ग्रहण किया । पेंशन आदि के उद्देश्यों के लिए सहायक  
अभियोजन अधिकारी की सेवा को इस न्यायिक सेवा में जोड़ा जाना  
अवश्यक है ।

अतः प्रार्थना है कि पूर्व में की गयी सहायक अभियोजन अधिकारी  
के उपरोक्त सेवा को इस न्यायिक सेवा में जोड़े जाने का आदेश पारित  
करने की कृपा करें ।

*(Signature)*  
12-1/2000

सादर,

भक्तिय,  
सूर्य प्रकाश शर्मा

संलग्नक-  
(1) कार्यभार प्रमाण पत्र की फोटो प्रति ।

(2) सहायक अभियोजन अधिकारी के रूप में कार्य मुक्त होने का प्रमाण पत्र की फोटो प्रति

सप्टम अपर सिविल जज। जू० डि०।  
गोण्डा ।

प्रतिलिपि- संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन, नियुक्ति अनुभाग-4 लखनऊ ।

*(Handwritten notes)*  
12/1/2000



प्रेम्क,

देवी प्रसाद,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

महा निकषक,  
मा० उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद ।

निवृत्ति अनुभाग-4

तखतक : दिनांक 15 मई, 2001

विषय:- श्री सूर्य प्रकाश शर्मा, जूडिशियल मजिस्ट्रेट, गोण्डा की पूर्व विभाग में की गयी सेवा को वर्तमान न्यायिक सेवा के साथ गणना किये जाने के संबंध में ।  
=====

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या-4961/4-2024/रडमिन।र। दिनांक 4-4-2001 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सी०एस्०आर० के नियम-4 के अनुसार पेंशन का दावा सेवा निवृत्ति के समय लागू पेंशन नियमों के आधार पर [REDACTED] रेग्युलेट होता है । अतएव अभी से पेंशन की देयता की दिशा में निर्णय लेना प्रीभेच्योर होगा ।

अतः श्री सूर्य प्रकाश शर्मा, जूडिशियल मजिस्ट्रेट गोण्डा की पूर्व/न्यायिक सेवा की मूल सेवा पुस्तिका वापस की जाती है । कृपया उक्त सेवा गणना का प्रस्ताव सेवा निवृत्ति के लगभग दो वर्ष पूर्व शासन को निस्तारण हेतु संदर्भित करने का कट करें । कृपया मूल सेवा पुस्तिका की प्राप्ति स्वीकार करें ।

संलग्नक:- यथोक्त ।

पूर्व/न्यायिक सेवा की मूल सेवा  
पुस्तिका संयुक्त।

भद्रीय,

संख्या-1163/दो-4-2001, वृद्धिदिनांक ।=


। देवी प्रसाद ।  
अनु सचिव ।

उपरोक्त पत्र की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित :-

- 1- जनपद न्यायाधीश, गोण्डा ।
- ✓ 2- श्री सूर्य प्रकाश शर्मा, जूडिशियल मजिस्ट्रेट, गोण्डा ।

आज्ञा से,

  
। देवी प्रसाद ।  
अनु सचिव ।